

29 JUN 2020

न्यास पत्र

उप कोषागार-लखसर  
कानपुर-हरिद्वार

मैं रामकली पत्नी श्री हरोशा चन्द्र निवासी हरिद्वार रोड, लखसर रस्ता मन 10 रूपये इन्डिया द्वारा छूट कोष विचारकर कुल सम्पत्ति 1000/- एक हजार रुपये से पुण्यार्थ कार्यों के लिए ट्रस्ट की स्थापना करती हूँ तथा पुण्यार्थ उद्देश्यों, नाम, नियम, अधिकार को लिखित करती हूँ, तथा ट्रस्टी निम्न प्रकार होंगे: 1- श्री हरोशा चन्द्र पुत्र श्री रघुवीर सरन 2- श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरोशा चन्द्र 3- श्री गोपाल अस्पताल पुत्र श्री हरोशा चन्द्र सभी निवासी हरिद्वार रोड लखसर, जिला हरिद्वार 4- श्री दीपक मनीष गुप्ता पुत्र श्री मुकुट शिखा रीगुप्ता निवासी लाटो घाटी गली कनकाल हरिद्वार, एवं 5- श्री डा० एम० एम० गुप्ता पुत्र श्री पद्मेश चन्द्र निवासी एम० एम० जी० जिला अस्पताल गाजिपुर कानपुर।




ARVIND KUMAR GUPTA  
ADVOCATE

न्यास संस्थापक  
श्रीमती रामकली

- 1- ट्रस्ट का नाम: हरोशा चन्द्र रामकली देवी स्मृतेशानल ट्रस्ट
- 2- ट्रस्ट का मुख्य एवं पंजीकृत कार्यालय: लखसर ट्रस्ट का तर्तमान मुख्य एवं पंजीकृत कार्यालय हरिद्वार रोड लखसर, जिला हरिद्वार 20 50 में स्थित होगा। यह कार्यालय भारतीय कानूनानुसार परिष्कृत हो सकेगा।
- 3- ट्रस्टी उद्देश्य: धार्मिक, शैक्षणिक, शान, भाषा या सिंग के अन्तर्गत

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*  
PRINCIPAL  
29-7-23



17 JUL 2020

-2-

रम कोसागर-लयसर  
लक्षर-हरिद्वार

पर कोई भेदभाव किये बिना, सर्वजनहितार्थ व पुण्यार्थ  
कार्य करना जिनमें मुख्य/प्रमुख प्रकार हैं :-  
- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य स्कूल, कॉलेजों की शिक्षा का  
प्रचार प्रसार करना है।

क- शिक्षा प्रचार प्रसार के लिये व्यवस्था करना।

ख- निःशुल्क औषधालय की व्यवस्था करना।

ग- गरीब, आश्रय रहित के लिये भोजन पत्र वितरण करना।

घ- आश्रय रहित, भेदभाव, भेदभाव, बहरो, पुष्टी, विकलांग  
बच्चों के लिये भोजन व कपड़ों का प्रवर्धन करना।

ड- उपरोक्त उद्देश्यों के लिये दान पत्र इत्यादि सफल  
करना।

4- ट्रस्ट के सदस्य:

ट्रस्ट के सदस्य समय-समय पर कुल ट्रस्टियों के बहुमत द्वारा  
मुख्य ट्रस्टी की सहायता से किये जायेंगे। -

किसी भी ट्रस्टी की सदस्यता की समाप्ति का अधिकार  
मुख्य ट्रस्टी के पास रहेगा।

5- क- मुख्य ट्रस्टी:

ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टीसंस्था का सर्वोच्च एवं सम्मानित अधिकारी  
होगा जो कि श्री हरीश चन्द्र जी होंगे। मुख्य ट्रस्टी की  
ओर से सब प्रकार के उत्तर देने, ट्रस्ट की ओर से अपने नाम  
में सब प्रकार के दावों करने, भोजन करने, उद्योगों नियुक्त करने,  
प्राप्ति पत्र आदि देने, मुकदमों में वचना कार्यवाहियों में ट्रस्ट  
की ओर से न्याय देनी व हवाय करने, ट्रस्ट की ओर से किये

राम कोसागर

उपर:-

Harish Chandra Ram Kall  
B.Ed. College  
Basedi, Laksar (Haridwar)

Principal  
27-7-23


जबाबदारों, अधीन व प्राधान्य पर आदि पर हस्ताक्षर करने ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये, किसी भी विवाद में आपसी फैसला करने, किसी भी विवाद को पंच निर्णय के सुपुर्द करने, अपने हस्ताक्षर में ट्रस्ट का बैंक में खाता खोलने, ट्रस्ट का स्थापित बैंक से निकालने व बैंक में जमा करने ट्रस्ट की ओर से वित्तीय अथवा कर्मचारी रखने उनकी सेवा शर्तें तय करने तथा उन्हें हटाने के सब कार्यों व सम्पत्ति आदि का हर प्रकार का प्रबन्ध करने तथा सामान्यतया ट्रस्ट का प्रबन्ध व प्रशासन चलाने का अधिकारी व उत्तरदायी रहेगा। मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट की उन्नति के लिये दान व सहायता प्राप्त करने तथा अन्य वैधानिक तरीकों से दान संग्रह करने तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये दान व्यय करने का अधिकार रहेगा। मुख्य ट्रस्टी संस्था के पद पर भागीदार हों रहेंगे, तथा इनके बाद ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी श्री गोपाल अग्रवाल रहेंगे।

छ- सामान्य ट्रस्टी: अन्य ट्रस्टी एक सामान्य ट्रस्टी की भांति कार्य करेंगे। इनके द्वारा सैदा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिये जिससे की ट्रस्ट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती हो।

6- यह ट्रस्ट पूर्ण रूप से गैर राजनैतिक, पुण्यार्थ व सर्वजन हितार्थ संस्था के रूप में है और हर हालत में इस ट्रस्ट की सम्पत्ति व कुल आय ट्रस्ट के उपर निर्णित उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगी, प्रयोग होगी।

7- ट्रस्ट द्वारा पुण्यार्थ एक विद्यालय की स्थापना की जास्गी जिसका कि समस्त प्रबन्धान श्री गोपाल अग्रवाल [सामान्य ट्रस्टी] को होगा। उन्हें विद्यालय से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। श्री गोपाल अग्रवाल को ही विद्यालय प्रबन्धान कमेटी बनाने का अधिकार रहेगा एवं वे स्वयं उस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। श्री गोपाल अग्रवाल को विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी रखने का पूरा अधिकार होगा तथा जब विद्यालय की गल-अपल सम्पत्ति को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारीदने व लेवने का अधिकार होगा। --

श्री गोपाल अग्रवाल

  
 Manager  
 Harish Chandra Ram Kall  
 P. M. College  
 Basoli, Laksar (Haridwar)

  
 PRINCIPAL 27-7-23

H.R. Public Sch. (10+2), CBSE  
 Laksar, Haridwar (U.K.)  
 School No.- 81408, Affil. No.- 3530174

- 8- ट्रस्ट को सब प्रकार की भाषिय में प्राप्त धन व अपत सम्पात्त पुण्याध व सर्वजन हितार्थ उद्देश्यों के लिये निहित रहेगी।
- 9- ट्रस्ट की मीटिंग ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जायेगी तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य किसी ट्रस्टी द्वारा मीटिंग की प्रधानता होगी।
- 10- अगर किसी भी कारण से ट्रस्ट के उद्देश्य पूरे न हो सके तो ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति दूसरे ट्रस्ट को स्थानान्तरण की जायेगी, जिसके उद्देश्य व लक्ष्य इसी ट्रस्ट जैसे हों।
- 11- ट्रस्टियों का कार्यालय अवैतनिक होगा परन्तु ट्रस्टियों को यात्रा भास्ताव उनके प्यय जो ट्रस्ट के कार्यों से सम्बन्धित होंगे उनको दिये जायेंगे।
- 12- मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी ट्रस्टी को उसकी योग्यतानुसार किसी भी समय कितनी भी कार्य पर नियुक्त किया जायेगा।
- 13- नियमों में संशोधन: संस्थान के मूलभूत उद्देश्यों के अधीन व सफल कार्यान्वयन के लिये यदि उपरोक्त नियमों में किसी समय कोई संशोधन अमेहित हो तो सभी ट्रस्टियों की सहमति से किया जा सकेगा।
- 14- ट्रस्ट को किसी भी अपत सम्पत्ति पर किसी को भी किरायेदार रखने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति सिर्फ उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयोग में लायी जायेगी। यह प्रावधान इस ट्रस्ट की तिथी से ही लागू माने जायेंगे।

*रा. म. ज. सि. सि.*

तारीख:- 09/08/2000 ई०

ह०:

ह०:

*Signature*  
(ATUL JINDAL) (P)  
% Sh. R.K. Jindal  
Railway Road  
Haridwar

ह०:-

*Signature*  
Adv.  
Pravind Kumar Gupta  
% Ch. Bhulpat Prasad Sharma  
% KANAKAL, Haridwar

*Signature*

पत्रेदो प्रमाणितकर्ता एवं डाइरेक्टर: अरविन्द कुमार गुप्ता सडकोकेट, हरिद्वार।


टाईपकर्ता: देवेन्द्र कुमार शर्मा:-

*Signature*

*Signature*  
Principal  
H.R. Public Sch. (10+2), CBSE  
Laksar, Haridwar (U.K.)  
Busede.

*Signature*  
27/7/23  
PRINCIPAL

H.R. Public Sch. (10+2), CBSE  
Laksar, Haridwar (U.K.)  
School No.- 81408. Affil No - 3530171



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ-पत्र 23AA 487426

समक्ष: महान अधिकारी/सचिव मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली  
 शपथ पत्र भिनजानिव : गौनाल अग्रवाल पुत्र श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल निवासी हरिद्वार रोड लक्ष्मर डाकखाना  
 न तहसील लक्ष्मर जिला हरिद्वार निम्न शपथ पत्रक बचान करता हूँ:-

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सच व सही है।
2. यह कि हरिश्चन्द्र रामकली देवी एजुकेशनल ट्रस्ट सोसायटी हरिद्वार रोड लक्ष्मर जनपद हरिद्वार का अध्यक्ष हूँ।
3. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट सोसायटी द्वारा एच.आर. पब्लिक स्कूल लक्ष्मर जनपद हरिद्वार संचालित किया जाता है।
4. यह कि हरिश्चन्द्र रामकली देवी एजुकेशनल ट्रस्ट सोसायटी की प्रबन्धकारिणी समिति के कुल पदाधिकारियों/ सदस्यों की संख्या 7 है।  
 यह कि उपरोक्त प्रबन्धकारिणी समिति में कोषाध्यक्ष श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रघुवीर शरण मेरे पिता हैं तथा एक सदस्य श्री अनिल अग्रवाल मेरे भाई हैं इसके अतिरिक्त चार अन्य पदाधिकारी/ सदस्य मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं।  
 यह कि उक्त ट्रस्ट प्रोपराईटशिप ट्रस्ट नहीं है यह एक गैर प्रोपराईटशिप ट्रस्ट है। ट्रस्ट का उद्देश्य जनसेवा है।
7. यह कि इस शपथ पत्र का कोई भी अंश गलत पाये जाने की दशा में मैं शपथकर्ता रुप जिम्मेदार रहूँगा।  
 यह कि इस शपथ पत्र का कुल मजबूत पत्र संख्या 1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सच सच व सही है। इसमें कोई झूठ नहीं बोला गया है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। शपथ कथन के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।



उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी,  
 लक्ष्मर

दिनांक :

ATTESTED  
 Divya Nand Sharma (Advocate)  
 Notary, Ghazipur (U.P.)

शपथकर्ता  
 ( गौनाल अग्रवाल )

PRINCIPAL  
 27-7-23

H.R. Public Sch. (10+2), CBSE  
 Laksar, Haridwar (U.K.)  
 School No.- 81408, Affil. No - 3530174